





कार्यालय,  
राष्ट्रीय, प्राथमिक शिक्षा परिषद,  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या- प्राथम/परिषद सम्बद्धता/2020/1971

लखनऊ दिनांक: 15-9-2020

—कार्यालय धाप—

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्गती काउन्सिल ऑफ इन्जिनियर्स, नई दिल्ली द्वारा सैद्धिक सत्र 2020-21 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने से उपराल प्राथमिक शिक्षा परिषद 3000 लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 14-8-2020 को अखिल प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ की अध्यक्षता में परिषद कार्यालय में बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2020-21 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संघटित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य बातों पर विचार करते हुए सत्र 2020-21 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-13 में डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम संघटित करने वाली पूर्व से सम्बद्ध संस्थाओं का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा यद्यन विचार-विमर्श कर निम्नानु निर्णय लिया गया -

परिषद से पूर्व से सम्बद्ध गिरी क्षेत्र की संस्थाएं जिन्हें सत्र 2020-21 में एओआईसीटीआईओ द्वारा संस्था में संघटित कतिपय पाठ्यक्रमों की प्रवेश क्षमता में कमी की गयी है, को सत्र 2020-21 हेतु परिषद से सम्बद्धता प्रदान करने पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया एवं सर्वसम्मति से सत्र 2020-21 हेतु एओआईसीटीआईओ द्वारा प्रदात अनुमोदन को अनुसार परिषद से सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

दिनांक 14-08-2020 को अखिल सम्बद्धता समिति की बैठक में लिखे गये उपरोक्त निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 लखनऊ द्वारा सत्र 2020-21 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अखिल प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

क्र. सं. संस्था सं. संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	एओआईसीटीआईओ/द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2020-21 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता	
1	2708 कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एण्ड टेक्नोलॉजी, गीत, भीमनगर, लखनऊ।	इलेक्ट्रिकल एण्ड कम्यूनिकेशन इंजीनियरिंग साइंस एण्ड इंजीनियरिंग डिप्लोमा इंजीनियरिंग इकायेशन टेक्नोलॉजी	30 30 30 30	30 30 30 30

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एओआईसीटीआईओ/पीसीआईओ द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1962, सेक्टर विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित विधियों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों हेतु ₹30,150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्गती पाठ्यक्रम हेतु ₹30-45,000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्गती पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹30-22,500.00 प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासनवादेश प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। शीत निर्धारण समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु कौन का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो कौन की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था को 3000 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के विषय रख जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनवादेशों के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एओआईसीटीआईओ/पीसीआईओ से अगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।

*CM*

- कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। पीस विद्यालय समिति द्वारा यदि सत्र 2020-21 हेतु पीस का पुनर्निर्माण किया जाता है, तो पीस की नवीकरण बंद लागू होगी।
- ✓ संस्था को (3000 प्राथमिक शिक्षा समितियों तथा एक सविधिक, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमकारी-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवंटित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा। पीसों के शिक्षा खर्च करने की शक्ति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समग्र-समग्र पर निर्णय शासनपदेश के अनुसार निर्देशान एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एमआईसीटीआई/पीसीआईआई से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/निर्णय/अधिनियम/शासनपदेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राथमिक शिक्षा, उच्चतर, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, 3000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 3000 द्वारा बनाये गये विनियम, अधिनियम, निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यवाही पदचक्रण की संस्थाएं यदि पीसीआई, नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थ होती है तो इस संस्था में समस्त उत्तरदायित्व शासन का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राथमिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राथमिक शिक्षा विदेशालय एवं प्राथमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई भी खर्च वापस किया जाता है तथा वापस कर के संबंध में न. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिकूल संस्था आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिकूल संस्था को बरनी होगी।
- ✓ विनियम इन कार्यवाही पदचक्रण संघटित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद उत्तर प्रदेश शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आवंटित प्रवेश परीक्षा हेतु कार्यान्वित प्रारंभ होने के पूर्व पीसीआईआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (आवधिकारिक) के वापस से अपेक्षा संस्था सत्र पर सीधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्णय नवीमान आकाश विनियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक सुविधाएं, सत्र, सत्र-समय, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त साधन उपलब्ध कराने के साथ रोजिग लेकने के सम्बन्ध में संस्था आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित/संघटित पदचक्रण को चलाने जाने हेतु निर्देशान समिति को समस्त उपलब्ध कराये गये अधिनियम, सुनि-समय, नवीपर, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पदचक्रण से संघटन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुमति की जायेगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की शक्ति में विनियमकार अनुसंधानकार्य कार्यवाही की जायेगी।

(300 आकाश) सिंह  
सचिव

पुं०सं०- प्राथिप/परिषद सम्बद्धता/2020/ 1972-3141

तददिनांक: 15-09-2020

प्रतिनिधि-उपसचिव/निदेशक, सूर्य कॉलेज ऑफ टेक्निकल स्टडीज, पीस चौक, उत्तर प्रदेश, रायबरेली जिला, संस्था।

(300 आकाश) सिंह  
सचिव